न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 26/2019

अनवान :

1. विवेक पुत्र विकास जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. विकास पुत्र विक्रमसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल : वादी
वकील श्री योगेश शर्मा : प्रतिवादी सं0 1
निर्णय **दिनांक :** 13.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक नं0 8 एसडीआर पटवार हल्का गांधीबड़ी के खाता सं0 145/127 के मु0नं0 28 के किला नं0 19 ता 23, मु0नं0 80 के किला नं0 18 ता 23 मु0नं0 81 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 90 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15, 25 मु0नं0 91 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 98 के किला नं0 1 की 0.126 है0, कुल 8.981 है0 जिसमें नहरी 8.550 है0, गै0मु0 रास्ता 0.306 है0 गै0मु0 खाला 0.125 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 विकास के नाम 4/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

हस्तगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी सम्पति है जिसमें वादी का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी विकास को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता विक्रमसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादगत कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करता आ रहा है और वादगत कृषि भूमि में तन्हा प्रतिवादी विकास के स्थान पर वादी संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/2–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो गया है।

वाद पेश होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी विवेक पुत्र विकास के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रमाणित जमाबन्दी चक 8 एसडीआर के खाता सं0 145/127

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 8 एसडीआर सम्वत् 2050 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी सम्पति है जिसमें वादी का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी विकास को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता विक्रमसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 8 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 8 एसडीआर सम्वत् 2050 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई उसमें वाद भूमि वादी के दादा विक्रमसिंह वल्द चन्दूलाल के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 विकास पुत्र विक्रमसिंह को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में विकास के वारिसान में पत्नी सुनीता व पुत्र विवेक होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक नं0 8 एसडीआर पटवार हल्का गांधीबड़ी के खाता सं0 145/127 के मु0नं0 28 के किला नं0 19 ता 23 मु0नं0 80 के किला नं0 18 ता 23 मु0नं0 81 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 90 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15, 25 मु0नं0 91 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0नं0 98 के किला नं0 1 इस प्रकार कुल 8.9810 है0 जिसमें नहरी 8.5500 है0, गै0मु0 रास्ता 0.3060 है0 गै0मु0 खाला 0.1250 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 विकास के नाम 4/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी विवेक व प्रतिवादी सं0 1 विकास संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी विवेक व प्रतिवादी सं0 1 विकास दोनों के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला-हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 26/2019

अनवान :

1. विवेक पुत्र विकास जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. विकास पुत्र विक्रमसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक नं0 8 एसडीआर पटवार हल्का गांधीबड़ी के खाता सं0 145/127 के मु0नं0 28 के किला नं0 19 ता 23 मु0नं0 80 के किला नं0 18 ता 23 मु0नं0 81 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 90 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15, 25 मु0नं0 91 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0नं0 98 के किला नं0 1 इस प्रकार कुल 8.9810 है0 जिसमें नहरी 8.5500 है0, गै0मु0 रास्ता 0.3060 है0 गै0मु0 खाला 0.1250 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 विकास के नाम 4/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी विवेक व प्रतिवादी सं0 1 विकास संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी विवेक व प्रतिवादी सं0 1 विकास दोनों के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला-हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी, भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़